

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प0 6(1)सा.प्र./6/2017

जयपुर, दिनांक : 08.08.2018

—: विज्ञप्ति :-

इस विभाग की समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 25.10.2017 के द्वारा वर्ष 2018 हेतु घोषित सार्वजनिक एवं एच्छक अवकाशों के अतिरिक्त स्थानीय मेला/त्यौहार आदि के उपलक्ष में प्रत्येक जिले में संबंधित जिला कलेक्टर को 2 स्थानीय अवकाश घोषित करने हेतु अधिकृत किया गया था। इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित जिलों में संबंधित जिला कलेक्टर 1 अतिरिक्त अवकाश (कुल 3 अवकाश) घोषित करेंगे, जो कि कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के परिपत्र क्रमांक-एफ.33(81)(4)(1)विविध/सीटीएडी/2018/19494-502, दिनांक 05.06.2018 के अनुसार निर्धारित मात्र घोषित अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में ही लागू होगा।

यदि बाद में तिथि के दिन राज्य सरकार के द्वारा कोई राजपत्रित अवकाश घोषित किया जाता है तो भी यह अपरिवर्तनीय रहेगा। स्थानीय अवकाश घोषित कर, आदेश की प्रति संबंधित जिला कलेक्टर इस विभाग को तुरन्त भिजवायेंगे।

( राजीव चौन )  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव राजस्थान, जयपुर।
6. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
8. समस्त राज्यों के मुख्य सचिव/केन्द्र शासित प्रदेश, भारत।
9. प्रमुख आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, पण्डारा रोड, नई दिल्ली।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को प्रचारार्थ।
11. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
12. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
13. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर
15. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव